भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 77
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

पीएम विश्वकर्मा योजना

77. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वकर्मा योजना की शुरूआत से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शोध/सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अद्यतन प्रशिक्षण पूरा करने वाले और राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) योजना के अंतर्गत विपणन सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा और कुल संख्या राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, कितनी है;

(घ) आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले, विशेषकर बापटला, में कौशल-वार लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार/जागरूकता
अभियान चलाया है और यदि हां, तो उक्त योजना हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)
(क) पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू-से-अंत तक सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता शामिल है। कौशल घटक के अंतर्गत, स्कीम का उद्देश्य महिला कारीगरों सहित कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीकें हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद करना है।

इस स्कीम में 18 ट्रेड शामिल हैं। इन 18 ट्रेडों के अंतर्गत आने वाले कारीगर और शिल्पकार, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, आमतौर पर स्व-नियोजित होते हैं और उन्हें आम तौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस स्कीम

के अंतर्गत लाभार्थी उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) पर भी पंजीकृत हैं, जो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए विचार किए जाने के योग्य बनाता है।

इस स्कीम की रूपरेखा को कारीगरों, शिल्पकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एमएसएमई, उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों आदि सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

दिनांक 18.07.2024 तक, आंध्र प्रदेश राज्य से कुल 20,46,805 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 83,378 आवेदन पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत हुए हैं।

(ख) पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी स्कीम के तहत बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत ही उन्नत प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। अब तक, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत उन्नत प्रशिक्षण शुरू होना शेष है। इसके अलावा, 15 जुलाई, 2024 तक, अखिल भारतीय स्तर पर कुल 5,03,161 उम्मीदवारों को बुनियादी प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में 46,726 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है। आयोजित बुनियादी प्रशिक्षण का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) पीएम विश्वकर्मा के तहत विपणन सहायता में विश्वकर्मा के उत्पादों और सेवाओं के लिए भौतिक और ऑनलाइन उपस्थिति बनाना, ई-कॉमर्स पोर्टलों पर उत्पादों को सूचीबद्ध करना, ब्रांड निर्माण, विश्वकर्मा को निर्यातकों और व्यापारियों से जोड़ना, ट्रेड मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहायता, पैकेजिंग सहायता और अन्य सामान्य उपयोग सुविधाएं, डिजाइन और विकास सहायता, सरकारी बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, जिसका उपयोग उत्पादों के प्रदर्शन के लिए खुदरा स्थान के रूप में किया जा सकता है।

बापटला जिले सहित आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार, ट्रेड-वार विवरण बहुत विस्तृत है कृपया इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/lok-sabha लिंक पर (अनुबंध-II) देखा जा सकता है।

(ङ) वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान प्रचार/जागरूकता अभियान के लिए 23.02 करोड़ रुपए आवंटित और उपयोग किए गए। आयोजित किए गए प्रचार/जागरूकता अभियानों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
ii. क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला उद्योग केंद्रों (राज्य सरकार के कार्यालयों) में स्थायी होर्डिंग्स/स्टैंडीज़ लगाना।
iii. 14 भाषाओं में टेलीविजन इश्तेहार/विज्ञापन (टीवीसी)।
iv. पीएम विश्वकर्मा पर लघु फिल्में।
v. समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन।
vi. सामुदायिक रेडियो, निजी एफएम और ऑल इंडिया रेडियो पर रेडियो जिंगल्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
vii. होर्डिंग्स, बिलबोर्ड, बस रैप्स, फ्लेक्स आदि के माध्यम से आउटडोर प्रचार।
viii. रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर ऑडियो घोषणाएँ।

****